राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

27 AUG 2012

क्रमांक प.3 (55) / नविवि / 3 / 2002 जयपुर, दिनांक :

आदेश

विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.04.2011 द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में नीति जारी की गयी थी। उक्त आवंटन नीति में शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, प्रोफेशनल संस्थाओं के लिए तथा प्रीमियम संस्थानों को आवासीय आरक्षित दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लेने हेतु सम्बन्धित न्यास / प्राधिकरण / आवासन मण्डल / स्थानीय निकाय को अधिकृत किया गया था।

अब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि न्यास / प्राधिकरण / आवासन मण्डल / स्थानीय निकाय के स्तर पर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं को आवासीय आरक्षित दर पर भूमि आवंटन करने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अतः निर्देश दिये जाते है कि संस्थाओं को आवासीय आरक्षित दर पर भूमि आवंटन करने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जावे।

नगर निगम / नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमियों का निजी संस्थाओं को आवंटन निकाय / न्यास / प्राधिकरण स्तर पर नही किया जावेगा। इन क्षेत्रों में स्थित राजकीय भूमियों का स्थानीय स्तर पर निजी संस्थाओं को आवंटन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त (समस्त)
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण।
8. जिला कलक्टर (समस्त)
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
11. रक्षित पत्रावली।

27/8/2012

उप शासन सचिव–तृतीय